

झारखण्ड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, राँची - 834001

विज्ञापन

ऑनलाईन (Online) आवेदन प्रारंभ की
अंतिम तिथि-20.10.2021

विज्ञापन संख्या-06/2021

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभागान्तर्गत राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, झारखण्ड, राँची हेतु सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती नियुक्ति परीक्षा।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अन्तर्गत राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, झारखण्ड, राँची के सभी 14 (चौदह) प्रस्तावों में सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी के कुल-49 (उन्चास) रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक-3215 दिनांक-22.09.2020 द्वारा प्रायः अधिकांश एवं पत्रांक-1134 दिनांक-08.03.2021 द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देश एवं संसूचित रिक्तियों के आलोक में इच्छुक एवं अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से विहित-प्रपत्र में Online आवेदन पत्र आमंत्रित किंटे जाते हैं जो आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

क्र.सं.	पद कोड सं.	पद का नाम (प्रस्ताव)	कुल पद	कोटेशन संकेत				वैयक्तिक आक्षण के अन्तर्गत प्रत्येक कोटि का विवरण							
				अन-रिजर्व	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति (अनु-1)	अनुसूचित जाति (अनु-2)	अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	पंजाबी	अन्य जाति	पूर्व निर्यात (क)	अल्प निर्यात (ख)	प्रारंभ निर्यात (ग)	(द) एंटी-कैन्सर (Autism), शैक्षिक निर्यात, सीखने की कठिनाई, अंधत्व एवं शारीरिक क्षमता, जैत, क (ग) एवं (घ) निर्यात (Multiple disabilities) जो (क) से (घ) के बीच में निर्यात के अतिरिक्त निर्यात के अंतर्गत हैं। यह निर्यात अलग-अलग कोटि में का जाता है।	
1.	06/2021-1	सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी (सीकरी)	03	02	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	06/2021-2	सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी (सामान्य)	09	05	02	01	01	X	X	X	X	X	X	X	
3.	06/2021-3	सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी (डिप्लोमा)	01	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.	06/2021-4	सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी (डिप्लोमा)	05	03	01	X	01	X	X	X	X	X	X	X	
5.	06/2021-5	सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी (सामान्य रसायन)	03	02	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

- नोट- (क) ऑनलाईन आवेदन भरने की तिथि तक आवेदक के पास उपर्युक्त शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ होनी चाहिए।
 (ख) अनुभव प्रमाण पत्र संस्थान के प्रमुख/विभागाध्यक्ष(यथा विद्यमान) के उप कुलपति/रजिस्ट्रार/डीन/संबन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य/एभोओटीओ के द्वारा निर्गत मान्य होंगे।
 (ग) राज्य सरकार/भारत सरकार के संस्थान में नियमित/सविदा पर कार्यरत कर्मी के अनुभव प्रमाण पत्र की मान्यता होगी।
 (घ) एक से अधिक पद पर योग्यता रहने की स्थिति में अभ्यर्थी एक से अधिक पद पर भी आवेदन कर सकते हैं।

6. उम्र गणना की रांद्भ तिथि :- 01.08.2020

(क) न्यूनतम उम्र सीमा :- 21 वर्ष।

(ख) अधिकतम उम्र सीमा :- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-609 दिनांक-25.01.2016 एवं संकल्प संख्या-7630 दिनांक-12.10.2018 के अनुसार सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु अधिकतम उम्र सीमा निम्न प्रकार है :-

Sl No.	Category	Upper Age Limit
1	Unreserved	35 Years
2	Extremely Backward Classes (Annexure-I)/Backward Classes (Annexure-II)	37 Years
3	Female (Unreserved/Extremely Backward Classes (Annexure-I)/Backward Classes (Annexure-II)	34 Years
4	Scheduled Tribes/Scheduled Caste (Male and Female)	40 Years
5	Economically Weaker Section	35 Years
6	Persons with Benchmark Disability (PwBD)	A relaxation of 10 years in their respective category.
7	Ex-Servicemen	A relaxation of 5 years in their respective category.

Note :- A candidate who has rendered at least 03 (three) years of regular service under the Government of Jharkhand, shall be granted 5 years relaxation in the upper age limit.

7. नियुक्ति हेतु भयन प्रक्रिया :-

लिखित परीक्षा, कम्प्यूटर दक्षता परीक्षा, साक्षात्कार एवं कार्यानुभव के लिए देय अंकों के आधार पर अंतिम रूप से भयन किया जाएगा।

(क) लिखित परीक्षा-लिखित परीक्षा दस्तुनिष्ठ होगी जिसमें संबंधित विषय से 100 प्रश्न कुल-300 अंकों का होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 03 अंक होगा। परीक्षा अवधि 02 घंटे की होगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए गए गलत उत्तर के लिए 1(एक) अंक दण्ड रूप में काटा जाएगा। लिखित परीक्षा में श्रेणीवार न्यूनतम अर्हतांक कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-13028, दिनांक-27.11.2012 के अनुरूप होगा।

(ख) साक्षात्कार-साक्षात्कार के लिए अधिकतम 30 अंक दिये जायेंगे। लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर विभिन्न प्रशाखाओं में भरी जाने वाली कुल रिक्तियों की संख्या के 2.5 गुणा अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए आंग्रहित होंगे। साक्षात्कार के लिए कोई न्यूनतम उत्तीर्णक नहीं होगा।

(ग) कार्यानुभव-कार्यानुभव के लिए देय अंक-राज्य या भारत सरकार के किसी विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में कार्यानुभव हेतु प्रत्येक वर्ष के लिए 05 अंक एवं अधिकतम 20 वरीयता अंक दिये जायेंगे। किसी राज्य अथवा भारत सरकार के विधि विज्ञान प्रयोगशाला/विश्वविद्यालय/कॉलेज के प्रयोगशाला/सोध संस्थान में संबंधित विषय में दो वर्षों का कार्य करने का अनुभव परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनिवार्य है।

(घ) कम्प्यूटर ज्ञान एवं संचालन-50 प्रश्नों (कुल-50 अंकों) का लिखित (दस्तुनिष्ठ प्रश्न) जीव परीक्षा होगी एवं प्रत्येक प्रश्न के लिए एक-एक अंक होंगे तथा परीक्षा अर्ध-01 (एक) घंटे की होगी, जिसके लिए कोई भी कोई भी Negative Marking नहीं होगी जिससे उत्तीर्ण होने के लिए 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इससे प्रश्नों को गेवा सूची में नहीं जोड़ा जायेगा।

(ङ) गेवा सूची- लिखित परीक्षा, साक्षात्कार एवं कार्यानुभव के देय अंक के प्राप्तांक को जोड़कर बनाई गई गेवा-रूढ-वरीयता सूची पर की जायेगी।

नोट :- (a) कम्प्यूटर ज्ञान एवं संवादन परीक्षा हेतु Window, MS Office, Internet तथा e-mail इत्यादि से 50 प्रश्न पूछे जायेंगे।

(b) लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

8. आरक्षण का लाभ :- आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्वाधीनिकता को ही देय होगा।

(a) जाति प्रमाण पत्र हेतु विस्तृत निर्देश निम्नवत् है:-

(i) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति :-

झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1754 दिनांक-25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र-IV में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

नोट:- सक्षम प्राधिकार गवर्नर अनुमण्डल पदाधिकारी/उपायुक्त द्वारा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तत्काल प्रभावी प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण-पत्र भी मान्य होगा।

(ii) अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I एवं पिछड़ा वर्ग-II :-

झारखण्ड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I एवं पिछड़ा वर्ग-II कोटि के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1754 दिनांक-25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र-8 के साथ प्रपत्र-11 (ज़िमीलेयर सहित) में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

नोट:- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के परिपत्र सं-1754 दिनांक-25.02.2019 की कटिका-8.2 के प्राधान्य के अंतर्गत में ज़िमीलेयर सहित प्रमाण-पत्र की वैधता प्रमाण-पत्र निर्गत की तिथि से एक वर्ष के उपरान्त ज़िमीलेयर में नहीं होने संबंधी अद्यतन स्वघोषणा पत्र (ऑन सं-15) संलग्न करने पर इस प्रमाण-पत्र की वैधता स्वघोषणा पत्र समर्पित करने की दिनांक के लिए मान्य होगी।

(iii) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झापांक-235 दिनांक-10.10.2019 के आलोक में अन्य राज्य से झारखण्ड राज्य में विवाह के आधार पर आवेगित महिलाओं को आवेगित राज्य में आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं है।

(iv) खेलकूद कोटा के अन्तर्गत आरक्षण का दावा कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखण्ड सरकार के झापांक-1709 दिनांक 12.09.2007 द्वारा श्रेणी-II के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा।

प्रतियोगिता का स्तर	उपलब्धि
(i) अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक कमेटी अथवा उनसे संबंधित केंद्रेक्षणों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता।	मेटल
(ii) भारतीय ओलम्पिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध केंद्रेक्षणों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशिप स्तर की प्रतियोगिता	प्रथम स्थान
(iii) राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता	द्वितीय रिकार्ड

(v) विभिन्न सेवाओं एवं पदों में दिवंगत छोटे के अन्तर्गत कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-2249 दिनांक-03.04.2018 के अंतर्गत में आरक्षण के लिए ऐसे उम्मीदवार पात्र होंगे जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत निरक्षरता से ग्रस्त हों। आरक्षण का लाभ के लिए उन्हें सक्षम मेडिकल बोर्ड एवं मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/चिकित्सा अधिकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित निरक्षरता प्रमाण पत्र के आधार पर ही आरक्षण की सुविधा अनुमान्य होगी। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

(vi) उम्मीद्वी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में आरक्षण कोटि से संबंधित किये गये दावे में नियुक्ति की जारी प्रक्रिया से सीधे सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

(vii) अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावा को अनुसार सभी प्रमाण पत्रों को साक्षात्कार हेतु अभिलेख सत्यापन प्रक्रिया के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी। उक्त तिथि के पर्याप्त प्रस्तुत कोई प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

(b) उत्ति प्रमाण पत्र की मूल प्रति साक्षात्कार के समय अभिलेख सत्यापन प्रक्रिया के क्रम में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा आख्यान का लाभ देय नहीं होगा। निर्धारित प्रश्न आयोग के वेबसाईट: www.upsc.gov.in पर उपलब्ध है।

9. कदाचार (Misconduct) के गिन मामलों में अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है:-

A candidate who is or has been declared to be guilty of:

- (i) Obtaining support for his candidature by the following means, namely :-
 - (a) Offering illegal gratification to; or
 - (b) Applying pressure on; or
 - (c) Blackmailing, or threatening to blackmail any person connected with the conduct of the examination; or
- (ii) Impersonation; or
- (iii) Procuring impersonation by any person; or
- (iv) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with; or
- (v) Uploading irrelevant photos in the application form in place of actual photo/signature; or
- (vi) Making statement which are incorrect or false or suppressing material information; or
- (vii) Resorting to the following means in connection with his candidature for the examination, namely :-
 - (a) Obtaining copy of question paper through improper means; or
 - (b) Finding out the particulars of the persons connected with work relating to the examination; or
 - (c) Influencing the examiners; or
- (viii) Being in possession of or using unfair means during the examination; or
- (ix) Writing obscene matter or drawing obscene sketches or irrelevant matter in the scripts; or
- (x) Misbehaving in the examination hall including tearing of the scripts, provoking fellow examinees to boycott examination, creating a disorderly scene and the like; or
- (xi) Harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examination; or
- (xii) Being in possession of or using any mobile phone (even in switched off mode), pager or any electronic equipment or programmable device or storage media like pen drive, smart watches etc. or camera or Bluetooth devices or any other equipment or related accessories either in working or switched off mode capable of being used as a communication device during the examination; or
- (xiii) Violating any of the instructions issued to candidates along with their admission certificates permitting them to take the examination; or
- (xiv) Attempting to commit or, as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses;
- (xv) May in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable :-
 - (a) To be disqualified by the Commission from the Examination for which he is a candidate; and/or
 - (b) To be debarred either permanently or for a specified period :-
 - (i) By the Commission, from any examination or selection held by them;
 - (ii) By the Government, from any employment under them, and
 - (c) If he is already in service under Government, to disciplinary action under the appropriate rules :

Provided that no penalty, under this rule shall be imposed except after-

- (i) Giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in this behalf; and
- (ii) Taking the representation, if any, submitted by the candidate within the period allowed to him into consideration.

10. ऐसे अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग उच्च किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश परित किया गया है। उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के विन्दु पर आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

11. परीक्षा शुल्क :-

- (i) परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/बालान के माध्यम से SBI Collect पर स्वीकार किये जायेंगे जिससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।
- (ii) अनासक्त, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची II) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क ₹0-600 (छः सौ) + बैंक चार्ज मात्र है।
- (iii) परीक्षा शुल्क में छूट- झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति, अदिम जनजाति सहित/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क ₹0-150/-(एक सौ पचास) + बैंक चार्ज मात्र है। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से निम्न अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क जमा किये जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी एवं बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जायेंगे। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।
- (iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निरासक्तता) को परीक्षा शुल्क में छूट है।
- (v) ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व में प्रकाशित एवं रद्द किये गये विज्ञापन संख्या-03/2021 के विरुद्ध आवेदन करने के समय परीक्षा शुल्क जमा कर चुके हैं उन्हें पुनः प्रकाशित विज्ञापन के विरुद्ध आवेदन करना होगा एवं परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा परन्तु नए आवेदन में पूर्व का रजिस्ट्रेशन नं० एवं SBI Collect Payment Reference Number देना होगा।

12. आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्तें एवं निर्देश

- (क) Online आवेदन के साथ किसी तरह का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है परन्तु भरे गए ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित प्रती के साथ संख्या-12(घ) में वर्णित उच्च वर्धित प्रमाण-पत्रों की स्वामित्वगत प्रति आवेदन के पते "परीक्षा निबंधक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची-834001" पर दिनांक-27.10.2021 तक निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करेंगे। लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या-06/2021 तथा परीक्षा का नाम यथा "सहायक निदेशक/श्रीय दैर्घानिक पदाधिकारी सीधी भर्ती नियुक्ति परीक्षा" मोटे अक्षरों में अंकित किया जाना अनिवार्य है।
- (ख) Jharkhand Public Service Commission के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर Online Application System के माध्यम से आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
- (ग) अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं ऑनलाइन आवेदन भरा जायेगा। इसमें किसी प्रकार की गलत सूचना दर्ज करने, सूचना छूट जाने या आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जवाबदेह होंगे। गलत या अर्धसत्य सूचना पाये जाने पर अभ्यर्थिता पर अन्तिम रूप से निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (घ) ऑनलाइन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number तथा पास User Id एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अन्तिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन करने के क्रम में अपने ही कार्यरत Mobile Number, E-mail Id अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का Mobile Number, E-mail Id अंकित नहीं करेंगे।
- (ङ) इंटरनेट या बैंकिंग प्रणाली के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। यह अभ्यर्थी आधिकारी समय का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।

- (ब) ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान **Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure** के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अभ्यर्थी को सुझाव हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा।
- (घ) अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को **Submit** करने के बाद उसी समय पुनः **Login** कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध **"Download Filled Application Section"** से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उरुकी दो प्रति निश्चित रूप से प्रिंट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित एवं आवेदन में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र/कागजात, परीक्षा शुल्क भुगतान की बैंक रसीद की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय या किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।
- (ङ) आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र, दैहिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, अंक पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा।
- (च) आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वर्णित प्रमाण-पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध है।
- (ज) **Online Application** में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना के अन्तर्गत पर उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जायेगी। अभ्यर्थी **Online Application** भर्ती-भौति विज्ञापन में निहित प्रावधान एवं निर्देश के अनुसार ही भरे। एक बार **Online Application** में की गयी प्रविष्टि (Entry) के बाद उसमें किसी भी तरह के परिवर्तन का अनुरोध आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् स्वीकार्य नहीं होगा।
- (झ) ऑनलाइन (**Online**) आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व **"How to apply"** (आवेदन कैसे करें) आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर अवश्य पढ़ें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के **Help Line No. +919431301636** पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह-10.00 बजे से रात 05.00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।
- (ट) ऑनलाइन आवेदन भरने में कोई अक्षुब्ध होने पर आयोग के निम्नलिखित **Technical Help Line No.** पर कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे से रात 06:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है :-
1. +919431301636 2. +919431301419
- (ठ) परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में किसी तरह की जानकारी के लिए **Payment Helpline No. - 9431301419** पर संपर्क किया जा सकता है।
- (ड) आवेदक सरकारी सेवा में होने की स्थिति में नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत जमापत्रित प्रमाण पत्र की विवरणी **Online Application** में प्रविष्टि करेंगे।
- (ण) **Online Application System** के द्वारा वर्णित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन (पासपोर्ट साइज) फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्कैन कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं रहने पर आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
- (त) आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (**BLOCK LETTERS**) में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए।
- (थ) आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्तनी (**Spelling**) सही लिखेंगे, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट/अंक-पत्र में अंकित है।
- (द) जमा तिथि-आवेदक के मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में, जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा तिथि, महीना और वर्ष है वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर लिखें।

(घ) आवेदन करने समय आवेदक सैद्धांतिक योग्यता से संबंधित विवरणी, उक्त संबंधी प्रवेशिका (मैट्रिक) प्रमाण पत्र, मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, खेलकूद संबंधी प्रमाण पत्र ऑनलाइन (Online) आवेदन पत्र में निर्धारित कॉलेकाओं में अपरव्य प्रविष्टि करने। साक्षात्कार के पूर्व अभिलेख सत्यापन के क्रम में आवेदन में किये गये दावे के अनुरूप सभी प्राप्ति निम्न प्रमाण-पत्रों की स्वअनिष्ठाप्रति प्रति (मूल प्रति सहित) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :-

(i) मैट्रिक प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र की छायाप्रति।

(ii) इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र की छायाप्रति।

(iii) विज्ञापित पद से संबंधित सैद्धांतिक अर्हता(सहायकोत्तर) प्रमाण-पत्र एवं अंक-पत्र की छायाप्रति।

(iv) विज्ञापित पद से संबंधित सैद्धांतिक अर्हता(सातक) प्रमाण-पत्र एवं अंक-पत्र की छायाप्रति।

(v) किसी राज्य अथवा भारत सरकार के विधि विज्ञान प्रयोगशाला/ वैश्वविद्यालय/ कॉलेज के प्रयोगशाला/शोध संस्थान में संबंधित विषय में दो वर्षों का कार्य करने पर अनुभव प्रमाण-पत्र की छायाप्रति। अनुभव प्रमाण पत्र संस्थान के प्रमुख/विभागाध्यक्ष (यथा विश्वविद्यालय के उप कुलपति/रजिस्ट्रार/डीन/संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य/एचओओबीओ) के द्वारा निर्गत मान्य होंगे।

(vi) राज्य सरकार/भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर का सॉर्टीफिकेट कोर्स (कम से कम स. ग.क का Diploma in Computer Applications) प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।

(vii) जाति प्रमाण-पत्र/LWS प्रमाण-पत्र की छायाप्रति (जहाँ लागू हों)।

(viii) मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की छायाप्रति (जहाँ लागू हों)।

(ix) जन्मपत्र प्रमाण-पत्र (जहाँ लागू हों)।

(x) साक्षात्कार हेतु अभिलेख सत्यापन के समय उपर्युक्त कॉलेका-(घ) के अनुरूप यथा प्राप्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में अभ्यर्षिता रद्द कर दी जायेगी।

(न) घबरा प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

(प) Online Application पत्र किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत होने पर शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(फ) अभ्यर्षियों का परीक्षा शुल्क आयोग को विहित माध्यम से प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन रद्द किया जा सकता है। इस बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

(ब) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जीव के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य दिखाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्षिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

अंतिम तिथि :-

- (क) आवेदक Online Application System के माध्यम से दिनांक-04.10.2021 से दिनांक-20.10.2021 अपराह्न 11:45 बजे तक ही Online आवेदन कर सकते हैं।
- (ख) दिनांक-20.10.2021 के बाद दिनांक-21.10.2021 तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा।
- (ग) ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित प्रती के साथ कॉटिका-12(घ) में वर्णित यथा वांछित प्रमाण-पत्रों की रकअभिग्रामित प्रती (Hard Copy) आयोग कार्यालय में समर्पित करने की अंतिम तिथि-27.10.2021 निर्धारित है।
- (घ) निर्धारित डाक/स्पीड पोस्ट के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन अस्वीकृत कर दिए जायेंगे तथा इसके लिए आयोग कतई जिम्मेदार नहीं होगा।

80/-

सचिव,

भारतखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।

दिनांक-_____

ज्ञानांक :-02/परी0जे0पी0एस0सी0-43/2013_____

प्रतिलिपि-परीक्षा नियंत्रक, भारतखण्ड लोक सेवा आयोग को सूचनाार्थ एवं आदरार्थक कार्यावृत्त प्रेषित।

80/-

सचिव,

भारतखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।